[2018] 14 एस. सी. आर. 1181

न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड

बनाम

राजेश्वर शर्मा एवं अन्य

(2018 की सिविल अपील संख्या 11885)

07 दिसंबर, 2018

**[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और एम. आर. शाह, जे. जे.]**

*उपभोक्ता संरक्षण-बीमा पॉलिसी-बीमाकर्ता को दायित्व से छूट देने वाला बहिष्करण खंड-जब आकर्षित किया जाता है-नगर निगम ने बीमित व्यक्ति के स्वामित्व वाली इमारत के सामने के हिस्से को ध्वस्त कर दिया-बीमित व्यक्ति का दावा है कि वह परिसर में सैनिटरीवेयर का व्यवसाय कर रहा था और विध्वंस के परिणामस्वरूप, उसे 500 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। 19.55 लाख-बीमाकर्ता ने बीमाकृत द्वारा प्राप्त बीमा पॉलिसी पर दावे का विरोध किया जिसमें "सरकार या किसी वैध प्राधिकरण के आदेश से" संपत्ति के विनाश से उत्पन्न होने वाले नुकसान के लिए बीमाकर्ता को दायित्व से छूट देना शामिल था-राज्य आयोग द्वारा अनुमत दावा-उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाःबीमा पॉलिसी के खंड 5 में एक अपवर्जन शामिल है, जहां संपत्ति का विनाश "सरकार या किसी कानूनी रूप से गठित प्राधिकरण के आदेश से" किया गया है-"सरकार के अधिकार के तहत या कानूनी रूप से गठित प्राधिकरण के आदेश से अभिव्यक्ति-नगर निगम वास्तव में एक कानूनी रूप से गठित प्राधिकरण है, जो 2000 के अधिनियम के तहत एक वैधानिक प्राधिकरण है-इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि नगर निगम द्वारा विध्वंस किया गया था-इसलिए जिस आधार पर दावे की अनुमति दी गई थी वह मौलिक रूप से त्रुटिपूर्ण था-चूंकि, विनाश कानूनी रूप से गठित प्राधिकरण के आदेश से किया गया*

*था, इस प्रकार, बीमा पॉलिसी के तहत अपवर्जन आकर्षित किया गया था-उच्च न्यायालय का विवादित निर्णय निरस्त कर दिया गया-राज्य आयोग के समक्ष बीमित व्यक्ति द्वारा दायर शिकायत खारिज कर दी गई-जम्मू और कश्मीर नगर निगम अधिनियम - धारा - 229*

**अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने अवधारित किया**

अवधारण 1.1 इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं था कि विध्वंस नगर निगम के अधिकार के तहत किया गया था। निगम। जैसा कि उपभोक्ता शिकायत के कथनों से पता चलता है, बीमित व्यक्ति इस आधार पर आगे बढ़ा कि नगर निगम ने विध्वंस का काम किया था। तथ्यात्मक स्थिति के बारे में कोई विवाद नहीं हो सकता है क्योंकि वास्तव में, बीमित व्यक्ति ने नगर निगम की कार्रवाई को चुनौती देने सहित विभिन्न राहतों के लिए एक मुकदमा दायर किया है। इसलिए जिस आधार पर दावे की अनुमति दी गई थी, वह मौलिक रूप से त्रुटिपूर्ण है।

1.2 बीमा पॉलिसी के खंड 5 में एक बहिष्करण शामिल है, जहां संपत्ति का विनाश "सरकार या किसी कानूनी रूप से गठित प्राधिकरण के आदेश से" किया गया है।" के आदेश द्वारा" अभिव्यक्ति का अर्थ है सरकार या कानूनी रूप से गठित प्राधिकरण के अधिकार के तहत। इस स्थिति के बारे में कोई विवाद नहीं हो सकता है कि नगर निगम वास्तव में जम्मू और कश्मीर नगर निगम अधिनियम, 2000 के तहत एक वैधानिक प्राधिकरण होने के नाते कानूनी रूप से गठित प्राधिकरण है। अभिलेखों के साथ-साथ राज्य आयोग के समक्ष दलीलों से, इस मौलिक स्थिति के बारे में कोई विवाद नहीं है कि नगर निगम द्वारा विध्वंस किया गया था। इसलिए विनाश कानूनी रूप से गठित प्राधिकरण के आदेश से किया गया था। एक बार जब यह स्थिति हो जाती है, तो इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि बीमा पॉलिसी के तहत बहिष्करण आकर्षित किया गया था।

1.3 राज्य आयोग और उच्च न्यायालय दोनों ने बीमा पॉलिसी के तहत दावे की अनुमति देने में गलती की। उच्च न्यायालय के विवादित फैसले, जिसने राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के फैसले की पुष्टि की है, को खारिज कर दिया गया है। बीमाकृत द्वारा राज्य आयोग के समक्ष दायर शिकायत को खारिज कर दिया जाता है। [पैरा 16] [1191-बी-डी]

*राष्ट्रीय बीमा कंपनी बनाम इरशाद* **(2007) 4 एस०सी०सी 105:[2007] 2 एस. सी. आर. 1014-संदर्भित।**

*कोर्निश बनाम दुर्घटना बीमा कंपनी लिमिटेड* **(1889) 23 क्यू. बी. डी. 453, 456;** *इम्पैक्ट फंडिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड बनाम बैरिंगटन सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड* **[2016] यूकेएससी 57;** *क्राउडेन एंड क्राउडेन बनाम क्यूबीई इंश्योरेंस (यूरोप) लिमिटेड* **क्यूसीः[2017] ई. डब्ल्यू. एच. सी. 2597 (कॉम)-संदर्भित।**

**ए. डब्ल्यू. बेकर वेलफोर्डः** *आकस्मिक से संबंधित कानून बीमा* **(बटरवर्थ एंड कंपनी, 1923) पृष्ठ 126 पर-संदर्भित।**

**<u>मामला कानून संदर्भ</u>**

**[2007] 2 एससीआर 1014** **पैरा 10**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार ; सिविल अपील संख्या- 11885/2018

सी. आई. एम. ए. सं.- 249/2015 में जम्मू में जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के दिनांकित 28.07.2016 के निर्णय और आदेश से

के साथ

सिविल अपील संख्या 11886/2018

मनोज के. मिश्रा, सुश्री अवंतिका मनोहर, प्रशांत कुमार और सुश्री पारुल प्रधान, अधिवक्ता अपीलार्थी के लिए।

जयंत भूषण, वरिष्ठ अधिवक्ता, जगदेव सिंह, मनोज के. मिश्रा, ज्योति मिश्रा, सुकुमार, उमेश दुबे, सचिन सैनी, मनोज के. मिश्रा, एम. शोएब आलम, उज्जवल सिंह और मोजाहिद करीम खान, अधिवक्ता प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

**डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.**

1. 2017 की सिविल अपील @एसएलपी (सी) @सी सी  5127 में देरी को माफ कर दिया गया।

2. ये अपीलें 28 जुलाई 2016 को जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के फैसले से उत्पन्न होती हैं। उच्च न्यायालय ने जम्मू और कश्मीर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग 1 के निर्णय की पुष्टि की है जिसके द्वारा एक लाख रुपये की राशि में बीमा दावे की अनुमति दी गई थी। 17.28 लाख। न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बीमाकर्ता, उच्च न्यायालय के समक्ष राज्य आयोग के फैसले को चुनौती देने में विफल रही। बीमाकृत द्वारा ब्याज अनुदान के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष दायर क्रॉस-आपत्तियों को भी खारिज कर दिया गया था। इसलिए, दो अपीलें हैंः एक बीमाकर्ता द्वारा और दूसरा बीमाकृत द्वारा, उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ।

3. राज्य आयोग के समक्ष बीमित व्यक्ति का दावा था कि उसके पास पटेल हाउस नामक एक इमारत है जो जम्मू के अखनूर रोड पर स्थित है। बीमाकृत ने दावा किया कि इमारत का निर्माण किया गया था 1984 नगरपालिका की उचित अनुमति के साथ।यह आरोप लगाया जाता है कि 1993 में नगरपालिका की अनुमति से अतिरिक्त निर्माण किया गया था। बीमित व्यक्ति के अनुसार, जम्मू और कश्मीर नगर निगम अधिनियम 2000 की धारा 229 के तहत जारी एक नोटिस पर, उसने जम्मू और कश्मीर विशेष न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया था जिसने 1996 में उल्लंघन को और बढ़ा दिया था। नगर निगम ने विध्वंस अभियान शुरू किया। अपनी संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई की आशंका में, बीमित व्यक्ति ने प्रथम सिविल अधीनस्थ न्यायाधीश, नगर मजिस्ट्रेट, जम्मू के न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया, जिसमें निगम को कानून के अनुसार कार्यवाही करने से रोकते हुए एक अंतरिम निषेधाज्ञा दी गई थी। नगर निगम ने इमारत के सामने वाले हिस्से को ध्वस्त कर दिया। बीमाकृत व्यक्ति परिसर में सैनिटरी वेयर का व्यवसाय

कर रहा था। विध्वंस के परिणामस्वरूप, बीमाकृत ने दावा किया कि उसे रुपये की राशि में नुकसान हुआ है। 19.55 लाख।

4. राज्य आयोग के समक्ष दावा बीमा पॉलिसी पर आधारित था जो बीमित व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई थी। बीमा पॉलिसी में निम्नलिखित बहिष्करण शामिल थेः

"वी. दंगा, हड़ताल, दुर्भावनापूर्ण और आतंकवाद नुकसान बाहरी हिंसक साधनों से प्रत्यक्ष रूप से बीमित संपत्ति को होने वाली या दिखाई देने वाली शारीरिक क्षति या विनाश, लेकिन इसके कारण होने वाले नुकसान को छोड़करः-

अ) XXXX

ख) सरकार या किसी कानूनी रूप से गठित प्राधिकरण के आदेश से जब्ती, कमान संभालने, माँग या विनाश के परिणामस्वरूप स्थायी या अस्थायी विस्थापन।"

उपरोक्त अपवर्जन पर भरोसा करते हुए, बीमाकर्ता ने इस आधार पर दावे को खारिज कर दिया कि विध्वंस की कार्रवाई नगरपालिका अधिकारियों द्वारा की गई थी और इसलिए यह कानूनी रूप से गठित प्राधिकरण के आदेश से की गई थी।

5. राज्य आयोग ने बीमा पॉलिसी के तहत रुपये की राशि में दावे की अनुमति दी। 17.28 लाख। Rs.10,000/- की मुकदमेबाजी लागत प्रदान की गई। राज्य आयोग ने राय दी कि नगर निगम द्वारा पारित विध्वंस के आदेश को रिकॉर्ड में नहीं लाया गया था और इसकी अनुपस्थिति में, बहिष्कार काम नहीं करेगा। अपील में, उच्च न्यायालय ने राज्य आयोग के दृष्टिकोण की पुष्टि करते हुए कहा कि यह बीमाकर्ता पर यह स्थापित करने का दायित्व है कि बीमा पॉलिसी में निहित बहिष्करण कानूनी रूप से गठित प्राधिकरण के आदेशों को दर्ज करके आकर्षित किया गया था जिसके द्वारा विध्वंस का आदेश दिया गया था। राज्य आयोग के दृष्टिकोण की पुष्टि करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि इस तरह के आदेश के रिकॉर्ड पर पेश किए जाने के अभाव में, बीमाकर्ता बीमित व्यक्ति को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी है।

6. जिस मुख्य आधार पर राज्य आयोग द्वारा शिकायत की अनुमति दी गई थी, इन कार्यवाही में उस पर सवाल उठाया गया है। बीमाकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि यह विवाद में नहीं था कि विध्वंस नगर निगम द्वारा किया गया था। इस प्रस्तुति को प्रमाणित करने के लिए, बीमाकर्ता उपभोक्ता शिकायत में निहित कथनों पर निर्भर करता है जो नीचे दिए गए हैंः

"5) कि नगर निगम के गठन के बाद, नगर निगम ने अतिक्रमण और अवैध निर्माणों को हटाने के लिए विध्वंस अभियान शुरू किया था।

6)....

7) कि नगर निगम ने न्यायालय द्वारा जारी निषेधाज्ञा के बावजूद, अदालत के आदेश का उल्लंघन करते हुए और पहले से ही पारित आदेश का उल्लंघन करते हुए भवन के सामने के हिस्से को ध्वस्त कर दिया, जिसे अपीलीय न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से संयुग्मित किया गया था।

8) ..

9) ..

10) कि नगर आयुक्त, जम्मू ने बिना किसी अधिकार के और अदालत के दिनांक 1 के आदेश का उल्लंघन करते हुए कानून को अपने हाथों में लेते हुए इमारत के सामने के हिस्से को ध्वस्त कर दिया और शिकायतकर्ताओं को बिना किसी सूचना के केबिन फिटिंग, डिस्प्ले आइटम इलेक्ट्रिक सिस्टम आदि को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे 5 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। 19,55,946-जो अनुमान श्री द्वारा उचित निरीक्षण के बाद तैयार किया गया था। के. आर. शर्मा, सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंता और मूल्यांकनकर्ता।भवन और फर्नीचर और फिक्सर आदि सहित सामग्री का उत्तरदाता द्वारा रुपये की राशि के लिए बीमा किया गया था। 1,23,50,000/- जिसके लिए पॉलिसी संख्या के माध्यम से प्रत्यर्थी द्वारा बीमा कवर जारी किए गए थे।

03.05.2002 से आधी रात 02.05.2003 तक की अवधि के लिए 350700/11/02 00119। अनुमान की प्रति संलग्न है।

11) कि आयुक्त, नगर पालिका और कार्यकारी अधिकारी अदालत के आदेश का उल्लंघन करते हुए सरकार के प्रति अपनी वफादारी दिखाएँ और पूरी तरह से जानते हुए कि शिकायतकर्ता भूमि के मालिक हैं, इमारत के सामने के हिस्से को ध्वस्त कर दिया जिससे कुल रु 19,55,846-18.04.2003 पर। इसके अलावा, इमारत को हुए नुकसान के कारण, तहखाने को बेकार कर दिया गया है और इसे ध्वस्त करना पड़ा है, जिससे 500 करोड़ रुपये का और नुकसान होने वाला है। 6,15,422-शिकायतकर्ताओं और शिकायतकर्ताओं के पास उक्त राशि का दावा करने का अपना अधिकार सुरक्षित है जब भी तहखाने को ध्वस्त किया जाता है।"

7. इन कार्यवाही में दायर अपने जवाबी हलफनामे में, जम्मू नगर निगम के आयुक्त ने कहा है कि फुटपाथ, सड़कों और नालियों सहित सार्वजनिक परिसरों पर अतिक्रमण/अनुमानों को हटाने के लिए, नगर निगम ने 25 जनवरी 2003 को 'कश्मीर टाइम्स' और 'डेली एक्सेलसियर' के दैनिक संस्करणों में एक सार्वजनिक सूचना जारी की। नोटिस में अनुमानों, प्लेटफार्मों और अतिक्रमणों को हटाने की अपील की गई थी जो जम्मू मास्टर प्लान और रिबन विकास रोकथाम अधिनियम 1953 द्वारा प्रदान की गई बिल्डिंग लाइन के अनुरूप नहीं थे। 31 जनवरी 2013 को सार्वजनिक सूचना में निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद उन क्षेत्रों में सीमांकन किया गया जहां अतिक्रमण थे और निजी प्रत्यर्थीगणओं सहित अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया था।इस बीच, बीमित राजेश्वर शर्मा द्वारा प्रथम सिविल अधीनस्थ न्यायाधीश, जम्मू के समक्ष एक मुकदमा दायर किया गया था जिसमें 11 मार्च 2003 को निम्नलिखित विज्ञापन अंतरिम आदेश पारित किया गया थाः

".....प्रतिवादियों को सुनवाई की अगली तारीख को या उससे पहले इस आवेदन पर आपत्तियां दर्ज करने के लिए नोटिस जारी करें और इस बीच आपत्तियों के अधीन और सुनवाई की अगली तारीख तक पक्ष मौके पर ही यथास्थिति बनाए रखेंगे।हालाँकि, यदि वादी द्वारा उक्त भवन में कोई उल्लंघन किया गया है, तो प्रतिवादी कानून के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करेंगे।

8. उपरोक्त आदेश ने नगरपालिका अधिकारियों को कानून के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करने की अनुमति दी। नगर निगम का दावा है कि उसने 18 अप्रैल 2003 को वर्तमान मामले में उठाए गए नए निर्माण को हटा दिया था, जो सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण करने के लिए पाया गया था और अखनूर सड़क पर यातायात के मुक्त प्रवाह के लिए असुविधा पैदा कर रहा था। नगर निगम के अनुसार, इसने 1985 और 1993 में किए गए निर्माण के किसी भी हिस्से को ध्वस्त नहीं किया था, लेकिन केवल "नया अवैध निर्माण"। नगर निगम ने यह भी प्रस्तुत किया है कि जो भवन बनाया गया है वह अभी भी मास्टर प्लान 1974-1994 और मास्टर प्लान 2021 का उल्लंघन करता है।

9. हमें शुरुआत में ही यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि हम इन कार्यवाही में नगरपालिका अधिकारियों द्वारा अपनाई गई कार्रवाई की वैधता पर प्रवेश नहीं कर रहे हैं। कार्रवाई की वैधता पर सवाल उठाते हुए दीवानी अदालत के समक्ष एक मुकदमा लंबित है, जबकि जवाबी हलफनामे से संकेत मिलता है कि हटाए गए काम की बहाली के लिए राहत मांगी गई है। वर्तमान मामले में मुद्दा इस बात तक सीमित है कि बीमा पॉलिसी के तहत बहिष्करण आकर्षित किया गया था या नहीं।

10. राज्य आयोग के साथ-साथ उच्च न्यायालय दोनों का विचार था कि बहिष्करण को ध्यान में रखते हुए आकर्षित नहीं किया गया था **राष्ट्रीय बीमा कंपनी बनाम इरशाद 2 में इस न्यायालय का निर्णय।** इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि जहां बीमा पॉलिसी में एक बहिष्करण खंड है, बीमाकर्ता पर यह स्थापित करने का बोझ है कि

बहिष्करण आकर्षित किया गया है। किसी भी अस्पष्टता को बीमित व्यक्ति के पक्ष में समझा जाना चाहिए। इस सिद्धांत को लागू करने के उद्देश्य से, राज्य आयोग और उच्च न्यायालय ने कहा कि बीमाकर्ता यह स्थापित करने में विफल रहा है कि नगर निगम का विध्वंस करने का आदेश था और इसलिए बहिष्कार आकर्षित नहीं किया गया था।

11. इस पहलू पर, हम बीमाकर्ता के निवेदन में योग्यता पाते हैं कि इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं था कि विध्वंस नगर निगम के अधिकार के तहत किया गया था।जैसा कि उपभोक्ता शिकायत के कथनों से पता चलता है, बीमित व्यक्ति इस आधार पर आगे बढ़ा कि नगर निगम ने विध्वंस का काम किया था। तथ्यात्मक स्थिति के बारे में कोई विवाद नहीं हो सकता है क्योंकि वास्तव में, बीमित व्यक्ति ने नगर निगम की कार्रवाई को चुनौती देने सहित विभिन्न राहतों के लिए एक मुकदमा दायर किया है। इसलिए जिस आधार पर दावे की अनुमति दी गई थी, वह मौलिक रूप से त्रुटिपूर्ण है।

12. आवश्यक पहलू जिस पर विचार करने की आवश्यकता है वह यह है कि क्या बहिष्कार आकर्षित किया गया था। बीमित व्यक्ति की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जयंत भूषण ने प्रस्तुत किया कि खंड V में कहा गया है कि "सरकार या किसी कानूनी रूप से गठित प्राधिकरण के आदेश से विनाश" होना चाहिए। विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि बहिष्करण यह मानता है कि कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। कानून के अनुसार कार्रवाई, अधिवक्ता प्रस्तुत करने में, आवश्यक है कि नगरपालिका प्राधिकरण या सरकारी प्राधिकरण की कार्रवाई (वर्तमान मामले में) जम्मू और कश्मीर नगर निगम अधिनियम 2000 के अनुरूप होना चाहिए।इस प्रस्तुति में, नगर निगम द्वारा अवैध विध्वंस का कार्य बहिष्करण के दायरे में नहीं आएगा। इसलिए, यह आग्रह किया गया है कि राज्य आयोग का निर्णय, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है, सही है।

13. दूसरी ओर, बीमाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता मनोहर ने प्रस्तुत किया है कि नगर निगम द्वारा विध्वंस किया गया था। यह कार्रवाई स्पष्ट रूप से

"किसी भी कानूनी रूप से गठित प्राधिकरण के आदेश से विनाश" अभिव्यक्ति के दायरे में आती है। विद्वान अधिवक्ता  ने प्रस्तुत किया कि नगरपालिका प्राधिकरण की कार्रवाई की वैधता एक लंबित मुकदमे का विषय है। यह निर्धारित करने में कि क्या बहिष्करण आकर्षित किया गया है, न्यायालय को यह आकलन करना चाहिए कि क्या विध्वंस किसी कानूनी रूप से गठित प्राधिकरण के आदेश से किया गया था। मुक़दमे में चुनौती के आधार बीमा पॉलिसी के तहत दावे से अलग हैं। इसलिए, एक बार जब यह पाया जाता है कि विध्वंस नगर निगम के आदेश से किया गया था, जो जम्मू और कश्मीर नगर निगम अधिनियम 2000 के तहत कानूनी रूप से गठित प्राधिकरण है, तो बहिष्कार आकर्षित होता है।

14. हम बीमाकर्ता की ओर से अनुरोध किए गए प्रस्तुतिकरण में काफी योग्यता पाते हैं।बीमा पॉलिसी के खंड V में एक बहिष्करण शामिल है, जहां संपत्ति का विनाश "सरकार या किसी कानूनी रूप से गठित प्राधिकरण के आदेश से" किया गया है। "के आदेश द्वारा" अभिव्यक्ति का अर्थ है सरकार या कानूनी रूप से गठित प्राधिकरण के अधिकार के तहत। इस स्थिति के बारे में कोई विवाद नहीं हो सकता है कि नगर निगम वास्तव में जम्मू और कश्मीर नगर निगम अधिनियम 2000 के तहत एक वैधानिक प्राधिकरण होने के नाते कानूनी रूप से गठित प्राधिकरण है। अभिलेखों के साथ-साथ राज्य आयोग के समक्ष दलीलों से, इस मौलिक स्थिति के बारे में कोई विवाद नहीं है कि नगर निगम द्वारा विध्वंस किया गया था। इसलिए विनाश कानूनी रूप से गठित प्राधिकरण के आदेश से किया गया था। एक बार जब यह स्थिति हो जाती है, तो इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि बीमा पॉलिसी के तहत बहिष्करण आकर्षित किया गया था।

15. बीमा पॉलिसियों में बहिष्करण खंडों की व्याख्या के संबंध में सामान्य कानून की स्थिति अलग नहीं है। **कोर्निश बनाम दुर्घटना बीमा कंपनी लिमिटेड 3 में, अपील**

**न्यायालय** बीमाकर्ता के कर्तव्य पर जोर दिया कि वह अपने दायित्व को स्पष्ट और स्पष्ट शब्दों में छोड़ दे। अपील न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया किः

"..... वास्तविक संदेह के मामले में, पॉलिसी को बीमाकर्ताओं के खिलाफ सबसे अधिक दृढ़ता से माना जाना चाहिए; वे पॉलिसी तैयार करते हैं और अपवादों को सम्मिलित करते हैं। लेकिन इस सिद्धांत को केवल संदेह को दूर करने के उद्देश्य से लागू किया जाना चाहिए, न कि संदेह पैदा करने या अस्पष्टता को बढ़ाने के उद्देश्य से, जब मामले की परिस्थितियां कोई वास्तविक कठिनाई पैदा नहीं करती हैं।"

दुर्घटना बीमा से संबंधित कानून 4 के अनुसार, बीमाकर्ताओं को किसी भी दायित्व से छूट दी जाती है जहां नुकसान एक अपवादात्मक कारण के कारण होता है जिसे आश्वस्त व्यक्ति को यह स्पष्ट करने के लिए जोड़ा जाता है कि पॉलिसी का उद्देश्य इस तरह के नुकसान को कवर करना नहीं है। स्थिति नीचे स्पष्ट की गई हैः

"अपवादों का उद्देश्य नीति के दायरे को अधिक सटीकता के साथ परिभाषित करना है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि किस चीज को बाहर रखा जाना है और किस चीज को शामिल किया जाना है।

चूंकि पॉलिसी में अपवाद मुख्य रूप से बीमाकर्ताओं को नुकसान के दायित्व से छूट देने के उद्देश्य से जोड़े जाते हैं, लेकिन अपवाद के लिए, पॉलिसी द्वारा कवर किया जाएगा, इसलिए उन्हें बीमाकर्ताओं के खिलाफ अत्यधिक सख्ती के साथ माना जाता है और यह बीमाकर्ताओं का कर्तव्य है कि वे स्पष्ट और स्पष्ट शर्तों में अपने दायित्व को छोड़ दें। यह साबित करने की जिम्मेदारी कि नुकसान एक अपवाद के भीतर आता है, बीमाकर्ताओं पर है, जब तक कि अपवाद की भाषा को साबित करके बीमाकृत को स्पष्ट रूप से यह साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि परिस्थितियों में, अपवाद लागू नहीं होता है।"

2016 में, यूके सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों की पेशेवर क्षतिपूर्ति बीमा पॉलिसी में एक बहिष्करण खंड की व्याख्या पर विचार किया। **इम्पैक्ट फंडिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड बनाम बैरिंगटन सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड**

बीमा बहिष्करण के निर्माण से निपटने के लिए, लॉर्ड टौलसन जे. एस. सी. ने इस प्रकार कहाः

"35. यह तथ्य कि एक अनुबंध में एक प्रावधान को एक अपवाद के रूप में व्यक्त किया गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि इसे संकीर्ण रूप से समझने के लिए पूर्व-निपटान के साथ संपर्क किया जाना चाहिए। एक अनुबंध में किसी भी अन्य प्रावधान की तरह, अपवाद या छूट के शब्द होने चाहिए समग्र रूप से अनुबंध के संदर्भ में और उसके उद्देश्य के लिए उचित सम्मान के साथ पढ़ें। सामान्य सिद्धांत के रूप में, यह अच्छी तरह से साबित है कि यदि एक पक्ष, अन्यथा उत्तरदायी, दूसरे पक्ष के प्रति अपने दायित्व को बाहर करना या सीमित करना चाहता है, तो उसे स्पष्ट शब्दों में ऐसा करना चाहिए; और यह कि अनुबंध को वह अर्थ दिया जाना चाहिए जो सभी पृष्ठभूमि ज्ञान रखने वाले एक उचित व्यक्ति को सूचित करेगा जो उस व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग के लिए यथोचित रूप से उपलब्ध है जिसे दस्तावेज़ संबोधित किया गया है। यह न केवल वहां लागू होता है जहां अपवाद के शब्द उल्लंघन के लिए एक उपाय को हटा देते हैं, बल्कि जहां वे एक सहायक प्रावधान के माध्यम से, उस लाभ के हिस्से को हटाने से उत्पन्न होने वाले दायित्व को रोकने की कोशिश करते हैं जो अनुबंध का उद्देश्य प्रतीत होता है। उस तरह के खंड का दोष यह है कि इसमें गुमराह करने की प्रवृत्ति हो सकती है, जब तक कि इसकी भाषा पर्याप्त रूप से स्पष्ट न हो। जो कुछ भी कहा जाए, अपवाद के शब्द केवल प्राथमिक दायित्व के दायरे को चित्रित करने का एक तरीका हो सकते हैं।"

में निर्धारित बीमा बहिष्करणों को समझने के लिए सिद्धांत **इम्पैक्ट फंडिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड बनाम बैरिंगटन सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड 6 पर इंग्लैंड और वेल्स उच्च न्यायालय (वाणिज्यिक) ने भरोसा किया था।** अदालत) क्राउडेन एंड क्राउडेन बनाम क्यू. बी. ई. बीमा (यूरोप) लिमिटेड 7 के मामले में।

बीमा बहिष्करण के निर्माण के प्रश्न पर विचार करते हुए, न्यायाधीश पीटर मैकडोनाल्ड एगर्स क्यू. सी. ने कहाः

"65. न्यायालय को बीमा बहिष्करणों की व्याख्या के लिए एक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जो बीमा अनुबंध में उनके उद्देश्य और स्थान के प्रति संवेदनशील हो। न्यायालय को निर्माण के उन सिद्धांतों को नहीं अपनाना चाहिए जो छूट खंडों के लिए उपयुक्त हैं-यानी ऐसे प्रावधान जो किसी पक्ष को राहत देने के लिए बनाए गए हैं जो अन्यथा अनुबंध के उल्लंघन या उस दायित्व के अपकृत्य के लिए उत्तरदायी हैं-बीमा बहिष्करण की व्याख्या के लिए, क्योंकि बीमा बहिष्करण कवर के दायरे को परिभाषित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं जिसे बीमा पॉलिसी वहन करने का इरादा रखती है। इसके लिए, न्यायालय को निर्माण के लिए स्वतः ही एक विपरीत दृष्टिकोण लागू नहीं करना चाहिए।उस ने कहा, ऐसे अवसर हो सकते हैं, जहां प्रावधान के अर्थ और प्रभाव में एक वास्तविक अस्पष्टता है। उन निर्माणों में से एक सभी या अधिकांश बीमा कवर को बाहर करना है जो प्रदान करने का इरादा था। उस स्थिति में, न्यायालय संकीर्ण निर्माण का विकल्प चुनने का हकदार होगा।"

वर्तमान मामले में, बीमा पॉलिसी के खंड V में कोई अस्पष्टता नहीं है। सरकार या किसी वैध प्राधिकारी के आदेश से संपत्ति के विनाश से होने वाले नुकसान के लिए बीमाकर्ता को दायित्व से छूट देने में बहिष्करण स्पष्ट था।"

16. उपरोक्त कारणों से, हमारा विचार है कि राज्य आयोग और उच्च न्यायालय दोनों ने बीमा पॉलिसी के तहत दावे की अनुमति देने में गलती की थी। तदनुसार, हमें

बीमाकर्ता द्वारा दायर अपील की अनुमति देनी होगी, जो हम उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को दरकि करके करते हैं, जिसने राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के फैसले की पुष्टि की है। परिणामस्वरूप, बीमित व्यक्ति द्वारा राज्य आयोग (सी. सी. 2628/2004) के समक्ष दायर की गई शिकायत खारिज हो जाएगी।

17. समापन से पहले, हम स्पष्ट करते हैं कि चूंकि ये कार्यवाहियां बीमा पॉलिसी के तहत बीमित व्यक्ति के दावे तक ही सीमित हैं, इसलिए इस निर्णय में निहित कुछ भी उस मुकदमे के गुण-दोष को प्रभावित नहीं करेगा जो बीमित व्यक्ति द्वारा नगर निगम के खिलाफ दायर किया गया है। बीमाकर्ता द्वारा दायर अपील स्वीकृत की जाती है तथा बीमाकृत द्वारा दायर अपील खारिज की गयी ,खर्चे  के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

तदनुसार अपीलों का निष्पादन किया गया।

शरंग धर उपाध्याय